कार्यालय संयुक्त संचालक सह् अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलालचन्द्राकरस्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, जिला–दुर्ग
छत्तीसगढ़–490024 ई–मेल : ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक / क्रय / CCMGMCH / DRG / 2026 / 813 दुर्ग,दिनांक : 27/5/26

II सीमित निविदा पद्धति से निविदा (Quotation) आमंत्रण सूचना II

चन्दूलाल चन्द्राकरस्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग) के नेत्र रोग विभाग द्वारा शल्य क्रिया कक्ष में लगने वाले आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा (Quotation) सीमित निविदा के माध्यम से आमत्रित किया जाता है, जिसके लिये निविदाकर्ता फर्म निम्नलिखित प्रारूप में निविदा (Quotation) प्रस्तुत कर सकते है :–

S.No	Name of Item	Quantity	Rate	GST Rate	Total Rate
1.	Side Port (15^0)	1000			
2.	Keratome (2.8mm)	1000			

अतः उपरोक्तानुसार प्रारूप में निविदाकर्ता फर्म निविदा (Quotation) मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कर सकते है। विलंब से प्राप्त निविदा (Quotation) मान्य नही की जावेगी।

नियम एवं शर्तें :–

01. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
02. कृपया जी.एस.टी. पजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
03. किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नही होगी।
04. सामग्रीयों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
05. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
06. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
07. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
08. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नही होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
09. सामग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. उक्त सामग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने के पूर्ण अधिकार संस्था होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिये क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
12. सामग्री का प्रदाय **MRP** (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

Digitally signed by
Kuldip Singh Sangha
Date: 26-05-2026
14:12:23

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
संम्बद्ध चिकित्सालय दुर्ग (छ.ग.)